संख्या-72/2019/1328/सैंतीस-2-2019-1(42)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-16 मई, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-266/सा0-2/एक्स।।-581/2019-20, दिनांक-15.05.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों में गोवंश वन्य विहार की स्थापना किये जाने के लिए रू0-120.00 लाख प्रति केन्द्र की दर से कुल रू0-840.00 लाख (रूपये आठ करोड़ चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) वर्तमान में प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का किसी भी दशा में कोई उल्लंघन न हो।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर बुन्देलखण्ड में गोवंश वन्य विहार की स्थापना हेतु रू0-120.00 लाख की दर से बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों के सम्बन्धित जिलाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) निर्विवाद रूप से भूमि की उपलब्धता होने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/सम्बन्धित जिलाधिकारी व्यय के प्रस्तावों/आगणन आदि के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक-26.08.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(6) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गौशालाओं के चयन में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय शासनादेश संख्या-249/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018टीसी, दिनांक-27.01.2019 व शासनादेश संख्या-346/सैंतीस-2-2019-5(2)/2018टीसी, दिनांक-05.02.2019 में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रस्तावित धनराशि से निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. शिड्यूल रेट से कराये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व निर्माण कार्य की लागत सम्बन्धी आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति निर्गत कर ली जायेगी।

(10) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी।

(13) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहार" की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-72/2019/1328(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in